## भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3318

#### अताराकित प्रश्न स. **3318** 12.07.2019 को उत्तर के लिए

## वन्य जीवों द्वारा कृषि भमि को नष्ट करना

### 3318. एडवोकेट डीन क्रियाकोस :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वन्य जीवों को कृषि भूमि तक पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या किसी वन्य जीव/जीवों द्वारा फसलों को नष्ट करने की स्थिति में 48 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार का कोई वैधानिक तंत्र है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

#### <u> उत्तर</u>

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) और (ख) मंत्रालय, देश में वन्यजीवों तथा उनके पर्यावासों का प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'टाइगर परियोजना' तथा 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें वन्य जीवों द्वारा विनाश सिहत मवेशी उठाने, फसल की क्षिति, जीवन तथा संपित की क्षिति के लिए प्रतिपूर्ति शामिल है। इस स्कीम के तहत सहायक कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवरोध का निर्माण/खड़ा करना, जैसे कि कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा वाली विद्युतीय बाड़, कैक्ट्स का उपयोग करते हुए जैव बाड़, बाउंडरीवाल इत्यादि से फसल क्षेत्रों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकना, वन से पर्यावासों में पशुओं के प्रवेश को कम करने के लिए वन क्षेत्रों में भोजन तथा पानी की उपलब्धता बढ़ाकर, वन्यजीवों के पर्यावासों में सुधार कर तथा समस्याकारी पशुओं को दूर रखने के लिए एंटी-डेप्रिडेशन स्क्वाड की स्थापना करना शामिल है।
- (ग) से (घ) वन तथा वन्यजीव प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदार है तथा ऐसी घटना का निपटान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, मंत्रालय ने हाल ही में वन्यजीवों के लूट-पाट के संबंध में अन्ग्रह राशि का भ्गतान निम्नान्सार बढ़ाया है :-

क्र.सं.	वन्यजीवों द्वारा पहुंचाई गई क्षति की प्रकृति	राहत अनुग्रह राशि
(क)	मृत्यु या स्थाई अशक्तता	5,00,000 ₹.
(ख)	गंभीर चोट	2,00,000 ₹.
(ग)	हल्की चोट	उपचार की लागत 25000 रू. तक प्रति
		<b>ट्यक्ति</b>
(ঘ)	संपत्ति/फसल की क्षति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार निर्धारित लागत
		की शर्तों का अनुसरण करती है।

\*\*\*\*